# षोडश बिहार विधान सभा

## द्वितीय सत्र

## <u>दैनिक विवरणिका</u>

संख्या-06 वृहस्पतिवार, दिनांक- 03 मार्च, 2016 ई० ।

**<u>माननीय अध्यक्ष, श्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।</u>**

**समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.30 बजे अपराह्न तक ।**

[1] <u>प्रश्नोत्तर काल</u> :-

(i) 16 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।

(ii) 01 तारांकित प्रश्न संख्या क्रमशः 410 स्थगित ।

(iii) 103 तारांकित प्रश्न अनागत ।

[2] <u>कार्यस्थगन</u> :-

माननीय सदस्य श्री तारकिशोर प्रसाद, श्री विनोद कुमार सिंह, श्री संजीव चौरसिया एवं श्री प्रमोद कुमार से प्राप्त कार्यस्थगन की सूचना नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा अमान्य किए जाने की घोषणा की गयी ।

[3] <u>शून्यकाल</u> :-

शून्यकाल की सूचनान्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों ने राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया :-

(i) श्री अशोक कुमार सिंह
(ii) श्री प्रमोद कुमार
(iii) श्री मिथिलेश तिवारी
(iv) श्री राणा रणधीर
(v) श्री विजय कुमार खेमका
(vi) श्री ललन पासवान
(vii) श्री विनोद कुमार सिंह
(viii) श्री तारकिशोर प्रसाद
(ix) श्री संजय सरावगी
(x) श्री विजय कुमार सिन्हा
(xi) श्री संजीव चौरसिया
(xii) श्री समीर कुमार महासेठ
(xiii) श्री विद्या सागर केशरी

[4] ध्यानाकर्षण सूचना :-

(i) माननीय सदस्य श्री सदानंद सिंह का खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य द्वारा पढ़ा गया एवं माननीय प्रभारी मंत्री श्री मदन सहनी द्वारा इसका उत्तर दिया गया ।

[5] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

(i) माननीय प्रभारी मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग श्री श्रवण कुमार द्वारा बिहार लोक अभिलेख नियमावली 2015 की प्रति को सभा मेज पर रखा गया । आसन से घोषणा की गयी कि यह 14 दिनों तक सभा मेज पर रखा रहेगा ।

(ii) माननीय प्रभारी मंत्री, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग श्री अब्दुल जलील मस्तान द्वारा बिहार निम्न शक्ति शराब-आयात, निर्यात एवं बिक्री नियमावली 2015 की प्रति को सभा मेज पर रखा गया । आसन से घोषणा की गयी कि यह 14 दिनों तक सभा पटल पर रखा रहेगा ।

(iii) माननीय प्रभारी मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग श्री अब्दुल गफूर द्वारा बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का विशेष प्रतिवेदन, 2015 एवं उसपर सरकार का व्याख्यात्मक संलेख की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

(iv) माननीय प्रभारी मंत्री, उद्योग विभाग श्री जय कुमार सिंह द्वारा बिहार राज्य वित्तीय निगम के वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 का 57वाँ, 58वाँ एवं 59वाँ वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

"इस दौरान पंचायत चुनाव में आरक्षण की सीमा बढ़ाने की माँग को लेकर विपक्ष के माननीय सदस्यगण शोरगुल करते हुए वेल में आ गए तथा लगातार शोरगुल करते रहे ।"

तत्पश्चात् सभा की बैठक भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई ।

भोजनावकाश के बाद

02.00 बजे अप० से 5.10 बजे अप० तक ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

[6] वित्तीय कार्य :-

वित्तीय वर्ष 2015-16 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की माँग (ग्रामीण कार्य विभाग) पर वाद-विवाद तथा मतदान :-

माननीय प्रभारी मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग, श्री शैलेश कुमार द्वारा विभाग से संबंधित अनुदान की माँग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

मा० सदस्य श्री अरुण कुमार सिन्हा द्वारा अनुदान की माँग पर राज्य सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग की नीति पर विचार-विमर्श हेतु कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं पक्ष रखा गया ।

अनुदान की माँग एवं कटौती के प्रस्ताव पर वाद विवाद में निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :

(इस अवसर पर माननीय सभापति सदस्य श्री इलियास हुसैन ने आसन ग्रहण किया ।)

| | |
|---|---|
| (i) श्रीमती प्रेमा चौधरी | (ii) श्री चन्द्रसेन प्रसाद |
| (iii) मो० तौसीफ आलम | (iv) श्री सैयद अबु दोजाना |
| (v) श्री मनीष कुमार | (vi) श्री मो० नेमतुल्ला |
| (vii) श्री लक्ष्मेश्वर राय | (viii) श्री विजय कुमार सिन्हा |
| (ix) श्री ललन पासवान | (x) श्री सत्यदेव राम |

(xi) श्री कुमार सर्वजीत (xii) श्रीमती अमिता भूषण

(xiii) श्री राजू तिवारी (xiv) श्री प्रह्लाद यादव

(xv) श्री रत्नेश सादा

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

माननीय प्रभारी मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, श्री शैलेश कुमार द्वारा वाद-विवाद का उत्तर दिया गया ।

''इस दौरान सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गए ।''

तदुपरांत सदन द्वारा माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा का कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान की मांग का मूल प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

तत्पश्चात् सदन द्वारा वर्ष 2015-16 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित शेष अनुदान की मांगें गिलोटिन (मुखबंध) द्वारा बारी-बारी से स्वीकृत हुआ ।

[7] <u>विधायी कार्य:-राजकीय (वित्तीय) विधेयक</u> :-

<u>बिहार विनियोग विधेयक, 2016</u> :-

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । विचार के प्रस्ताव के स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा विधेयक सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

[8] <u>निवेदन</u> :-

आसन द्वारा घोषणा की गई कि आज के लिए स्वीकृत कुल-24 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे ।

तदुपरांत सभा की बैठक शुक्रवार दिनांक 04 मार्च, 2016 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक-03 मार्च, 2016

**राजीव कुमार**
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।